

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 849
दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बाल देखरेख संस्थान

849 श्री ससिकांत सेंटिल:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) के बच्चों का सत्यापन करने और उन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य और लाइलाज बीमारी के मानदंडों के संबंध में पालन-पोषण देखरेख के मामलों में अभिभावकों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) पालन-पोषण देखरेख में रखे गए बच्चों के कल्याण की निगरानी करने और उनकी देखरेख के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) और इसके तहत बनाए गए दत्तक ग्रहण विनियमों में दत्तक ग्रहण के संबंध में प्राधिकरणों और एजेंसियों के लिए समय-सीमा उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे पालन-पोषण देखरेख और दत्तक ग्रहण के लिए बाल देखरेख

संस्थाओं में उपलब्ध बच्चों की पहचान करने हेतु प्रत्येक दो माह में एक बार पहचान अभियान चलायें।

(ख): पालन-पोषण परिचर्या के मामलों में अभिभावकों की स्वस्थता गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की जाती है। किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (2022 में यथा संशोधित) के नियम 23(12) के प्रावधानों के अनुसार, पालन-पोषण देखरेख के लिए आवेदकों को अपने मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र को भी जमा करना आवश्यक है।

(ग): किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 23 (18) में यह परिकल्पना की गई है कि बाल कल्याण समितियां बच्चों के कल्याण की जांच करने के लिए फॉर्म 35 में पालन-पोषण परिवारों या पालन-पोषण देखरेख करने वालों का मासिक निरीक्षण करेंगी। इसके अलावा, जिला बाल संरक्षण इकाई किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (2022 में यथा संशोधित) के फॉर्म 34 के अनुसार पालन-पोषण देखरेख संस्थान प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड रखता है।
